

प्रत्याख्यान:— “स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के **आंग्लभाषा संस्करण** को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।”

भारत के उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील क्रमांक 1510/2010

गंगाराम

अपीलार्थी

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन

प्रतिप्रार्थी

निर्णय

न्यायाधिपति, एल. नागेश्वर राव

1. यह अपील उच्च न्यायालय के फेसले के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 8 सहपठित 15(c) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एक्ट, 1985 (इसके बाद ‘एनडीपीएस अधिनियम’ के रूप में संदर्भित किया गया है) में 10 साल की सजा के साथ रुपये 1 लाख के जुर्माने की सजा को उच्च न्यायालय ने पुष्टि की।
2. दिनांक 14.07.2000 को, पुलिस स्टेशन सिंगोली, जिला नीमच में कार्यरत हेड कांस्टेबल शिवशंकर ड्यूटी पर ग्राम पलासिया गए थे। पलासिया ग्राम से वापस आते समय धारा 174 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज एक शिकायत में जांच करने के बाद उन्होंने ट्रक क्रमांक एमपी-14/1765 को ग्राम झांटला के बाहर एक सड़क पर खड़ा देखा। लॉरी की जांच करने पर उस ट्रक में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक नशीली दवा डोडा-चूरा के 10 बैग मिले। पूछताछ करने पर अपीलार्थी, ट्रक का चालक, ने दिनांक 14.07.2000 की सुबह 09:00 से शाम 08:00 बजे तक ग्राम पटियाल, फुसरिया और ढोगांव के किसानों का डोडा-चूरा परिवहन करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी, नीमच द्वारा जारी अनुश्रु क्रमांक 198 दिनांक 13.07.2000 दिखाया। अनुज्ञा में उपरोक्त ग्रामों के किसानों के नाम भी शामिल थे। अपीलकर्ता ने हेड कांस्टेबल को बताया कि उसने ग्राम बड़वासा निवासी आशीष पिता ओम प्रकाश पालीवाल की मदद से ग्राम पलासिया में डोडा चूरा भरा, जो ठेकेदार बिशन सिंह का एजेंट था। शिवशंकर, हेड कांस्टेबल के पास एनडीपीएस अधिनियम के

प्रावधानों के तहत डोडा-चूरा को जब्त करने के अधिकार नहीं थे, तो वह ट्रक चालक यानी अपीलकर्ता को ट्रक के साथ पुलिस स्टेशन ले गया। प्राथमिकी 15.07.2000 को थाना सिंगोली, जिला नीमच में दर्ज की गई। नशीली दवा ट्रक से उतारी गई जिसका वजन 415 किलोग्राम पाया गया। प्रत्येक बैग को सामग्री 1 से सामग्री 10 के रूप में चिह्नित किया गया और प्रत्येक बैग से 250 ग्राम के दो नमूने लिए गए और उन्हें सील कर दिया गया। डोडा-चूरा के नमूनों को रासायनिक जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिसमें यह पाया गया कि जब्त की गई सामग्री डोडा-चूरा के टुकड़े हैं।

3. जांच पूरी होने पर चार्जशीट दायर की गई। आरोपी ने कोई अपराध करने से इनकार किया। हालांकि उसने अपने बचाव में 10 गवाहों को बुलाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी भी गवाह को बुलाकर कोई सबूत नहीं दिया। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि वह लाईसेंसी ठेकेदार बिशन सिंह के माल का कानूनी रूप से परिवहन कर रहा था, जिसके पास जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी वैध लाईसेंस था। अपीलार्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 सहपठित 15 एवं धारा 8 सहपठित 26 के अंतर्गत आरोप लगाए गये। विचारण न्यायालय ने धारा 8 सहपठित धारा 15 के अन्तर्गत विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों को विरचित किया –

- (क) क्या जब्त सामग्री मनःप्रभावी पदार्थ पॉपी स्ट्रा यानी डोडा-चूरा है?
- (ख) क्या आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में या उसके नियमों के उल्लंघन में अपने कब्जे में 415 किलोग्राम डोडा-चूरा को परिवहन किया या खरीदा या बेचा ?
- (ग) क्या आरोपी ने कोई अपराध कारित किया?

4. विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 8 सहपठित 26 के अंतर्गत मुद्दों को भी विरचित किए जो निम्न है –

- (क) क्या इस अधिनियम या नियम या उसमें किए गए आदेश के अधीन दिए गए लाईसेंस, अनुज्ञा या अधिकारिता का धारक या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति और उसके आदेश पर कार्य करने वाला मांग पर बिना किसी उचित कारण के ऐसे लाईसेंस, अनुज्ञा या अधिकारिता प्रस्तुत करने में विफल रहता है ? या
- (ख) बिना किसी उचित कारण के खातों को बनाए रखने या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई रिटर्न जमा में या उसके अंतर्गत बनाए किसी नियम का लोप करना? या
- (ग) किसी खाते को रखा या कोई विवरण दिया, जो गलत है या जिसे वह जानता है या गलत होने का कारण रखता है? या
- (घ) जानबूझकर और ज्ञात होते हुए लाईसेंस, अनुज्ञा या अधिकारिता की किसी शर्तों का उल्लंघन किया गया जिसके लिए इस अधिनियम में कहीं और जुर्माना नहीं लगाया गया? या
- (ङ) क्या आरोपी ने कोई अपराध किया।

5. विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के मामले का उल्लेख किया, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुज्ञा के आधार पर डोडा-चूरा के परिवहन का था एवं आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया। बचाव का अगला मुद्दा था कि बारिश के कारण ट्रक उन गांवों के अंदर नहीं जा सकता था जहां से डोडा-चूरा को इकठ्ठा किया जाना था। अधिक से अधिक, यदि उल्लंघन था तो वह परमिट की शर्तों का उल्लंघन था जिसके लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत सजा दी जा सकती है किन्तु धारा 15 में नहीं। बचावपक्ष के वकील के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 सहपठित 15 के अंतर्गत आरोप नहीं बनता। विचारण न्यायालय ने पाया कि जब्त किया गया इसमें कोई विवाद नहीं था कि जप्त की गई सामग्री पॉपी स्ट्रा यानी डोडा-चूरा था जिसका वजन 415 किलोग्राम था। विचारण न्यायालय के अनुसार, इस तथ्य को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि खोज और जब्ती के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा किए गए स्वीकृति के मद्देनजर जब्त किए गए डोडा-चूरा के नमूने कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से मुख्यतः दलील दी गई थी की लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 सहपठित 26 के अंतर्गत दोषी पाया जाना है, न कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत। अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 सहपठित 15 के अंतर्गत अपराध साबित करने में असमर्थ रहा। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 15 और 26 की व्याख्या पर विचार कर निष्कर्ष निकाला कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 सहपठित 15(सी) अंतर्गत दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जिस ट्रक को जब्त किया गया था, उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60(3) के प्रावधानों के अनुसार राजसात किया गया था। विचारण न्यायालय ने निर्देशित किया कि अपील की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन का राजसात एवं सार्वजनिक नीलामी द्वारा वाहन की बिक्री को करने का निर्देश दिया।
6. उच्च न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की एवं अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।
7. श्री पुनीत जैन, अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अभियोजन अपराध साबित करने के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। उन्होंने उच्च न्यायालय के उस निर्णय की आलोचना की जिसके द्वारा निर्दोष होने का भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित किया गया। निर्दोष।

UK

उन्होंने प्रस्तुत किया कि पोस्ट तृण का परिवहन ग्रामों से किया जाता था जो कि अनुज्ञप्ति में उल्लेखित थे परन्तु यह लदान सड़क पर हुआ था जहाँ पर कि ठेला खड़ा किया गया था। वर्षा के कारण, ट्रकों को ग्रामों तक नहीं ले जाया जा सकता था जहाँ से पोस्ट तृण का संग्रहण किया जाना था। उन्होंने अभिकथित किया कि अभियोजन ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जा यह दिखाता हो कि विनिसिद्ध का क्रय और लदान एक ग्राम (गांव) से किया गया था जो कि अनुज्ञप्ति में उल्लेखित नहीं था। उन्होंने इसके अलावा तर्क दिया कि अधिक से अधिक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम की धारा-8 सहपठित धारा 26 के अन्तर्गत अपराध

बनता अभियोजन के अनुसार, प्रकरण अनुज्ञप्ति की शर्तों के एक उल्लंघन का है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी 8 वर्षों की सजा भुगत चुका है और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05-07-2010 से जमानत पर है और इस न्यायालय द्वारा नरम दृष्टिकोण लिया जाय।

8. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री रविप्रकाश मेहरोत्रा ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने पोस्ट तृण का अभिग्रहण स्वीकार किया था और अभियोजन को यह अभिग्रहण अलग से साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि अपीलार्थी का बचाव था कि परिवहन मान्य (वैध) अनुज्ञप्ति के आधार पर किया गया है, यह अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह यह साबित करे कि पोस्ट तृण का क्रय उन व्यक्तियों से किया गया था, जिनके नाम अनुज्ञप्ति में मिले हैं। उन्होंने हमारा ध्यान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धाराओं 8, 5 और 26 की ओर दिलाते हुए तर्क दिया कि धाराएँ 15 और 26 विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होती हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 15 के अन्तर्गत सही दोषसिद्ध किया है और विचारण न्यायालय और उच्च-न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

9. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा-8 अफीम पोस्ट की खेती का प्रतिषेध करती है और इसके साथ ही साथ किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय और परिवहन भी प्रतिषेध करती है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 और 26 जो कि इस प्रकरण के अधिनिर्णयन के लिये सुसंगत हैं, निम्नलिखित हैं -

15. पोस्टतृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड - जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोस्टतृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या उसका भंडागारण करने का लोप करेगा या भांडागारित पोस्ट तृण को हटाएगा या उसके बाबत कोई कार्य करेगा, वह - (क) जहां उल्लंघन लघु मात्रा से संबंधित है, सक्षम कारावास से जो (एक वर्ष) की विस्तारित अवधि तक का हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रुपए का हो सकता है, या दोनों से (ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से अल्प, अल्प मात्रा से संबंधित है लेकिन कम मात्रा से अधिक है, वह, सश्रम कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख ऊपर तक का हो सकता है; (ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, सश्रम कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार दो लाख रुपए का भी हो सकेगा। परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से,

जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रूपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

“26. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दण्ड :-

यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र प्राधिकार का धारक अथवा उसके नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना लोप करेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा;

(ग) ऐसा कोई लेखा रखेगा या ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है अथवा जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है ; या

(घ) ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्त कोई शास्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके, जानबूझकर और जानते हुए, कोई कार्य करेगा; तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

10. धारा 26 जानबूझकर अनुज्ञप्ति की शर्त भंग करने पर जिसके लिए दण्ड स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में और कहीं विहित नहीं है, का वर्णन करती है और दण्ड कारावास जिसकी अवधि तीन वर्षों तक की हो सकेगी या जुर्माना, या दोनों विहित करती है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 उपबंधित करती है कि वाणिज्यिक मात्रा से जुड़ी पोस्ट तृण के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति का उल्लंघन सश्रम कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार बीस वर्ष तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा और जुर्माने से जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार दो लाख रूपए तक का भी हो सकेगा, सभी दंडनीय होगा।

11. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण से प्रभावित नहीं हुए हैं, कि अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथित अपराध को साबित करने में अभियोजन नाकामयाब रहा था। यह अभिलेख से स्पष्ट है

कि अपीलार्थी ने ट्रक से पोस्ट तृण की 10 बोरियों का अभिग्रहण (जब्ती) स्वीकार किया है, जो कि ग्राम पलासिया में खड़ा था। केवल यह बचाव निम्न न्यायालयों के समक्ष था कि परिवहन वैध था क्योंकि यह एक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी मान्य अनुज्ञप्ति की शक्ति पर किया जा रहा था। ट्रक एक सड़क पर ग्राम पलासिया के पास खड़ा था जो कि अनुज्ञप्ति में उल्लेखित एक ग्राम (गांव) से 18 किलोमीटर दूर है और जहां से अपीलार्थी पोस्ट तृण का लदान और परिवहन अनुज्ञप्ति के अनुसार कर सकता था। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 15 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का बचाव यह है कि ट्रक ग्राम पलासिया के निकट खड़ा था, जैसा कि वर्षा के कारण यह ग्रामों में प्रवेश नहीं कर सकता था जहां से माल कूट किया गया था। अपीलार्थी ने यह साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया था कि उस दिन वर्षा हुई थी। यद्यपि अपीलार्थी ने न्यायालय को प्रारंभ में ही सूचित कर दिया था कि वह 10 बचाव साक्षियों का परीक्षण करना चाहता था, उसने इनमें से किसी को भी न्यायालय में अभिकथन करने के लिए नहीं बुलवाया था।

12. अन्य दूसरा विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 15 के अंतर्गत उचित रूप से दोषसिद्ध किया गया है ? अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन के लिए केवल स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 26(घ) के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, यह दण्ड अधिकतम तीन वर्षों का होगा। धारा 26 के अंतर्गत दण्ड अनुज्ञप्ति की शर्त भंग करने के लिए है जिसके लिए जुर्माना अधिनियम में और कहीं विहित नहीं है। अधिनियम की धारा 15 अन्य वस्तुओं के बीच में पोस्ट तृण के परिवहन के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड का वर्णन करती है। वाणिज्यिक मात्रा के उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति को धारा 15 के अनुसार सश्रम कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। जैसा कि पोस्ट तृण के संबंध में उल्लंघन के लिये धारा 15 में वर्णन किया गया है, अधिनियम की धारा 26 आकर्षित नहीं करती है और निम्न न्यायालयों ने अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 15 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराकर सही किया है। जैसा कि इस प्रकरण के तथ्य आपराधिक अपील क्रमांक 318/2005 से अलग है, हम श्री जैन के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, कि कथित निर्णय को व्यथित निर्णय की सत्यता पर विचार करते समय यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए।

13. यद्यपि हमने इस तथ्य पर विचार किया है कि अपीलार्थी 10 वर्षों के आरोपित दण्ड में से 8 वर्षों का कारावास भुगत चुका है, और कि वह वर्ष 2010 से जमानत पर है, हम स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15 (ग) के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए उपबंधित 10 वर्ष के अनिवार्य न्यूनतम दण्ड के मद्देनजर सजा जो कि अपीलार्थी द्वारा पहले ही भुगतली गई है, को कम नहीं कर सकते।

14. तदनुसार अपील निरस्त (खारिज) की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह चार हफ्ते के भीतर सजा का शेष भाग भुगतने के लिए समर्पण करें।

.....J
[L. NAGESWARA RAO]

.....J
[M.R. SHAH]

नई दिल्ली,
01 मई, 2019

प्रत्याख्यान:— “स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के **आंग्लभाषा संस्करण** को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।”

Translated by Shri Umesh Kumar Khichi, Translator from page no. 01 to 06 (point 01 to 07) and by Shri Sanjay Shankar Mishra, Translator from page no. 07 to 13 (point 07 to 14).

SSM